(घ) उक्त नीति को कब तक तैयार किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) हमारी विदेश नीति का बुनियादी सिद्धांत और उद्देश्य देश की क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा तथा एक बहुवादी प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज, जिसमें न्याय और समानता के साथ लोगों का सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके, के रूप में राष्ट्रीय पहचान का संरक्षण करना है। स्वतंत्रता के बाद से ही हमारी विदेश नीति में स्वतंत्र कदमों तथा गुट-निरपेक्षता में अटूट विश्वास की झलक मिलती रही है। हालांकि विश्व में हो रहे परिवर्तनों और घटनाओं, जिसका प्रभाव हमारी नीति पर पड़ता है, के फलस्वरूप विदेश नीति में स्वाभाविक परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसे नीति निर्धारण हमेशा से ही इन विदेश नीति के इन ज्ञात सिद्धांतों पर आधारित रहे हैं। विदेश नीति के हमारे बुनियादी उद्देश्य तथा सिद्धांत इच्छित उद्देश्यों की प्राप्त में हमेशा सहायक रहे हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अमेरिका के राष्ट्रपति का भारत दौरा

1767. **श्री राजूभाई ए० परमार:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इस वर्ष भारत आने की इच्छा जताई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री जसवन्त सिंह): (क) और (ख) अमरीका के राष्ट्रपति प्रधान मंत्री के साथ नियमित पत्राचार कर रहे हैं। अपने पत्राचार में अमरीका के राष्ट्रपति ने अन्य बातों के साथ-साथ निकट भविष्य में भारत की यात्रा करने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी और यह कि यात्रा एक रचनात्मक वातावरण में हो। प्रधान मंत्री ने उनकी इच्छा का उसी भावना के साथ उत्तर दिया और भारत और अमरीका के बीच दोनों लोकतांत्रिकों के लाभ के अनुरूप व्यापक आधार पर संबंध रखने की भारत की इच्छा को दोहराया।

China's View on Sikkim Status

1768. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item published in the Hindustan Times dated 29th January, 1999 under the caption "China may back Sikkim Status";

(b) if so, what is the reaction of Government thereto and facts of the matter; and

(c) the details of fresh initiatives taken by Government to normalise and improve bilateral relations with China?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) China has not formally recognised Sikkim as part of India. The fact that Sikkim is an integral part of India has been made clear to the Chinese Government at various levels.

(c) We seek friendly, co-operative, good neighbourly and mutually beneficial relations with China, on the basis of Panchsheel, In this framework, we are making consistent efforts for further improvemnt of bilateral relations, including measures to expand trade and enhance exchanges in various fields. The two countries are in regular contact through diplomatic and non-official channels and, at various other levels. Exchanges or visits of Parliamentarians, people-to-eople exchanges, visits of political party delegatins and functional contacts in other fields are also taking place. Bilateral trade has grown steadily, and reached US $ 1.92 billion in 1998, representing an increase of 5% over 1997. There is considerable potential to expand our economic and commercial co-operation.

Up-keep of Hindu, Sikh Shrines in Pakistan

1769. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether during the Prime Minister's visit to Pakistan the question of up keep of Hindu Sikh shrines in Pakistan was discussed;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) if not, whether it will be taken up with Pakistan authorities in coming Indo-Pakistan talks?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI JASWANT SINGH): (a) to (c) During Prime Minister's visits to Pakistan on 20-21 February 1999, the issue of Hindu and Sikh shrines did get discussed. The SGPC proposal for a role in the maintenance of Sikh shrines located in Pakistan was conveyed to the Pakistani side. Similarly the issue of Hindu shrines, particularly Katasraj and Hinglaj featured during discussions.

प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

1770. **श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का प्रशासनिक ढांचे में सुधार और इसके पुनर्गठन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार का प्रशासनिक ढांचे में व्याप्त कमियों की जांच करने और इस संबंध में उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के उद्देश्य से किसी सुधार आयोग/समिति का गठन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम॰आर॰ जनार्दनन): (क) सरकार ने प्रशासनिक कार्य-कुशलता को बढ़ाने की दृष्टि से समय-समय पर अपने प्रशासनिक ढांचे में सुधार लाने और इसका पुनर्गठन करने के लिए अनेक उपाय किये हैं। सरकार द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नानुसार हैं:—

— सरकारी कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, तैनाती, पदोन्नति और स्थानांतरण के लिए प्रक्रियाओं और पद्धतियों में सुधार लाने संबंधी उपाय;

— कार्यविधियों के सरलीकरण, प्राधिकार सौंपने, जवाबदेही लागू करने और लोक शिकायतों का शीघ्र तथा सहानुभूतिपूर्वक निवारण करने के लिए जवाबदेह प्रशासन संबंधी कार्यक्रम के अंतर्गत उपाय।

यह भी उल्लेख किया जाता है कि 24 मई, 1997 को हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन के बारे में एक कार्य योजना पर चर्चा की गई थी और इसे अनुमोदित किया गया था। इस कार्य योजना में तीन मसलों पर विचार किया गया अर्थात् प्रशासन को जवाबदेह और नागरिक हितैषी बनाना, पारदर्शिता और सूचना के अधिकार को सुनिश्चित करना तथा सिविल सेवाओं को साफ-सुथरा और प्रेरणादायक बनाने के लिये उपाय करना। सम्मेलन में लिये गए निर्णय के अनुसरण में, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों ने 50 से अधिक नागरिक चार्टर तैयार कर लिये हैं। संबंधित संगठन की कार्य-पद्धतियों और स्कीमों के बारे में सूचना उपलब्ध कराने तथा व्यक्तिगत मामलों की स्थिति से संबंधित जानकारी हासिल कराने के लिये मंत्रालयों/विभागों में 40 से अधिक सूचना और सुविधा काउंटर स्थापित किये गए है। लोक शिकायतों के निवारण से संबंधित तंत्र को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ किया गया है। 40 से अधिक विभागों ने उनके द्वारा प्रशासित कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा की है। इस समीक्षा के आधार पर कई मंत्रालयों/विभागों ने कानूनों, विनियमों और प्रक्रियाओं में उपयुक्त संशोधन करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। मई, 1998 में गठित प्रशासनिक कानूनों की समीक्षा से संबंधित आयोग ने 30 सितम्बर, 1998 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। आयोग द्वारा की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों में केन्द्रीय कानूनों में से लगभग 50% कानूनों (2500 कानूनों में से लगभग 1300 कानूनों) को निरस्त करना, 109 निर्दिष्ट अधिनियमों की विवेचनात्मक सूची में शीघ्र संशोधन करना, सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रशासनिक कानूनों (नियमों, विनियमों, कार्यकारी अनुदेशों आदि) का प्रलेखन, अंतर्देशीय और विदेशी निवेशकों, व्यापार और उद्योग, उपभोक्ताओं/ निर्यातकों और आयातकों की संभावनाओं के संदर्भ में सांविधियों और कानूनों का सामंजस्यीकरण तथा व्यवहार्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र का विकास शामिल है। सभी मंत्रालयों/विभागों को तथा सभी राज्यों/संघ-शासित क्षेत्र सरकारों के मुख्य सचिवों को इस अनुरोध के साथ भेज दी गई हैं कि वे उसमें दी गई विभिन्न सिफारिशों की जांच करें और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु उपयुक्त कार्य योजना तैयार करें। सरकार ने रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई पर निगरानी रखने हेतु सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया है।